उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 68/2021/ 1357297/12-2002/5/2021
लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के मानक लेखाशीर्ष '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार'' में प्राविधानित कुल धनराशि रू. 26535.00 लाख के सापेक्ष रू. 260.00 लाख (दो करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्य निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

| अनुदान संख्या/लेखाशीर्ष | मद | आय-व्ययक प्रावधान | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 011-4401-103-04-0402-बोरियों की लागत एवं अन्य प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 400.00 | 200.00 |
| 011-4401-103-04-0403-कपास और बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित)-42- अन्य व्यय | 42- अन्य व्यय | 125.00 | 50.00 |
| 011-4401-103-04-0403-कपास और बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 10.00 | 10.00 |
| कुल योग: | | 535.00 | 260.00 |

(दो करोड़ साठ लाख रूपये मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। कृषि निदेशक द्वारा प्रत्येक भुगतान से पूर्व आपूर्ति सत्यापन, प्री आडिट, स्टोर एवं वितरण अंकन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइड-लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

http://upsanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।।

(5) स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व होगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और, न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा, किसी प्रकार की द्विरावृत्ति हो रही है ।

(8) निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।।

(9) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति, तथा, '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0403-कपास और बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित)-42-अन्य व्यय एवं '4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0403-कपास और बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति'' के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा पशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

( शत्रुन्जय कुमार सिंह )
विशेष सचिव।

http://dhsanadesh.up.gov.in

संख्या:68/2021/ 1357297 (1)/12-2002/5/2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: एस0एफ0/77.जी/4401-बजट/2021-22, दिनॉक 06 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल/यूपी.जीओवी.इन पर अपलोड किए जाने हेतु।

आज्ञा से,

( शत्रुन्जय कुमार सिंह )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in